Const. cash No – 15/07-08

निम्नलिखित शर्तों के साथ नया गृह निर्माण नक्शा स्वीकृत की जाती है।

(i) आवेदक सरकारी/नगरपालिका का जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कर जमीन अतिक्रमण नहीं करेंगें।

(ii) भवन में सेवा शौचालय का निर्माण नहीं करेंगें।

(iii) भवन में रोशनी के लिए पर्याप्त रोशनदान की व्यवस्था करेंगें।

(iv) नगरपालिका नाली/रास्ता से 5 फीट एवं समर्पित नक्शे के तीनों तरफ तीन-तीन फीट छोड़ कर ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगें।

(v) उक्त निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक द्रव्यों का व्यापार/भण्डारण नहीं करेंगें।

(vi) पत्थर, बालू, मिट्टी, ईंट इत्यादि रख कर रोड़/नाली का अवरोध नहीं करेंगें। अवरोध करने पर जुर्माना लागू किया जायेगा।

(vii) सटे पड़ोसियों के तरफ खिड़की नहीं खोलेंगें।

(viii) आवश्यकता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले अंचल अमीन या नगरपालिका अमीन की उपस्थिति में उनका मापी के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगें।

(ix) एक साल के अन्दर निर्माण कार्य निष्पादन नहीं करने पर नक्शा को नवीकरण कराना अनिवार्य है।

(x) समर्पित नक्शा के अनुरूप ही निर्माण कार्य निष्पादन करेंगें।

(xi) भवन में (जी+3) विद्युत (ठनका) के कुप्रभाव को रोकने हेतु तड़ित चालक (वज्र निवारण) प्रतिरोधक संयंत्र स्थापित करने का अनिवार्य है।

(xii) भविष्य में किसी प्रकार का तकनिकी गड़बड़ उत्पन्न होने पर स्वीकृत नक्शा को खारिज करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

विशेष पदाधिकारी
सरायकेला नगरपालिका।